न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 53/2016

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्टस**
1. सुगनकंवर पुत्री श्री विजय सिंह पत्नी श्री मान सिंह जाति-राजपूत निवासी-ग्राम संभाडिया तहसील-बिलाडा जिला-जोधपुर		1. भोमसिंह पुत्र स्व.श्री हेमसिंह 2. प्रेमसिंह पुत्र स्व. श्री हेमसिंह 3. हुकमसिंह पुत्र स्व. श्री हेमसिंह 4. मोहनसिंह पुत्र स्व. श्री हेमसिंह 5. शंभुसिंह पुत्र श्री जब्बरसिंह 6. नटवरसिंह पुत्र श्री जब्बरसिंह 7. श्रीमती बीरजकंवर बेवा जब्बरसिंह 8. सुगनकंवर बेवा श्री रतनसिंह 9. महेन्द्रसिंह पुत्र श्री रतनसिंह सभी जाति राजपूत निवासीगण-ग्राम मालुंगा तहसील तिवंरी, जिला जोधपुर

भू-राजस्व प्रथम म्युटेशन अपील अंतर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम बरखिलाफ म्युटेशन संख्या 272 ग्राम मालुंगा जो तहसीलदार ओसिंया द्वारा दिनांक 06.01.1989 को स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति:- 1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्टस की ओर से अधिवक्ता श्री जयसिंह भाटी उपस्थित।

<u>निर्णय</u>

दिनांक 27.06.2019

अपीलान्ट सुगनकंवर पुत्री श्री विजयसिंह पत्नि श्री मानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम संभाड़िया तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट भोमसिंह पुत्र स्व. श्री हेमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मालूंगा तहसील तिंवरी जिला जोधपुर के विरूद्ध तहसीलदार ओसियां द्वारा दिनांक 06.01.89 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 272 ग्राम मालुंगा को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मालुंगा वर्तमान गांव संत श्री निंबाराम नगर वर्तमान तहसील तिंवरी के सरहद में एक खेत खसरा नम्बर 357 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 426 रकबा 70 बीघा 08 बिस्वा व खसरा नम्बर 458 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 93 बीघा 13 बिस्वा का स्थित था। उक्त भूमि में विजयसिंह व भीमसिंह पुत्र स्व. उदयसिंह सह-खातेदार थे। विजयसिंह व भीमसिंह सगे भाई थे। विजयसिंह की एक मात्र वारिस हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उनकी पुत्री होने के नाते

अपीलान्ट थी लेकिन म्युटेशन जैर अपील के जरिये विजयसिंह और भीमसिंह को लाऔलाद फौत बताते हुए उनकी भूमि का म्युटेशन हेमसिंह पुत्र रामसिंह के नाम से स्वीकृत कर दिया जिससे व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश गलत गैरकानूनी एवं विधिक प्रावधानों के विपरित होने, म्युटेशन संख्या 272 खोलने के संबंध में पटवारी द्वारा कोई कारण या कोई टिप्पणी नहीं लिखने एवं इस पर पटवारी के कोई हस्ताक्षर नहीं होने, म्युटेशन के कॉलम संख्या 7 में विजयसिंह के पिता का नाम भीमसिंह गलत लिखा गया जबकि विजयसिंह के पिता का नाम उदयसिंह होने एवं इसी कॉलम में समंदरसिंह पुत्र भोमसिंह गलत लिखा गया जबकि पुराने रेकर्ड के अनुसार भीमसिंह पुत्र उदयसिंह होने तथा उक्त भूमि का म्युटेशन हेमसिंह के नाम गलत भरा जाने, अपीलान्ट विजयसिंह की जाईंदा पुत्री एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनकी एकमात्र वारिस होने, विजयसिंह का भाई भीमसिंह ला-औलाद फौत होने से भीमसिंह के वारिस भी अपीलान्ट ही होने, अपीलान्ट वारिस के रुप में जिन्दा होने पर भी हेमसिंह पुत्र रामसिंह का नाम मृतक विजयसिंह व भीमसिंह के वारिसान के रूप में लिखने, म्युटेशन के पीछे बनाया गया सजरा भी गलत होने, संलग्न सजरा अनुसूची ''अ'' अनुसार विशनसिंह, उदयसिंह, रामसिंह तीन भाई थे किन्तु सजरे में विशनसिंह एवं विजयसिंह की पुत्री का भी उल्लेख नहीं करने, म्युटेशन जैर अपील पारित करने से पूर्व नेचुरल वारिस अपीलान्ट को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाने आदि आधारों पर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर तहसीलदार ओसियां द्वारा दिनांक 06.01.89 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 272 ग्राम मालुंगा को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का नाम नामान्तरकरण में दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वशांवली व सजरा खानदान निम्नानुसार है:-

<u>वंशावली ''अनुसुची अ''</u>

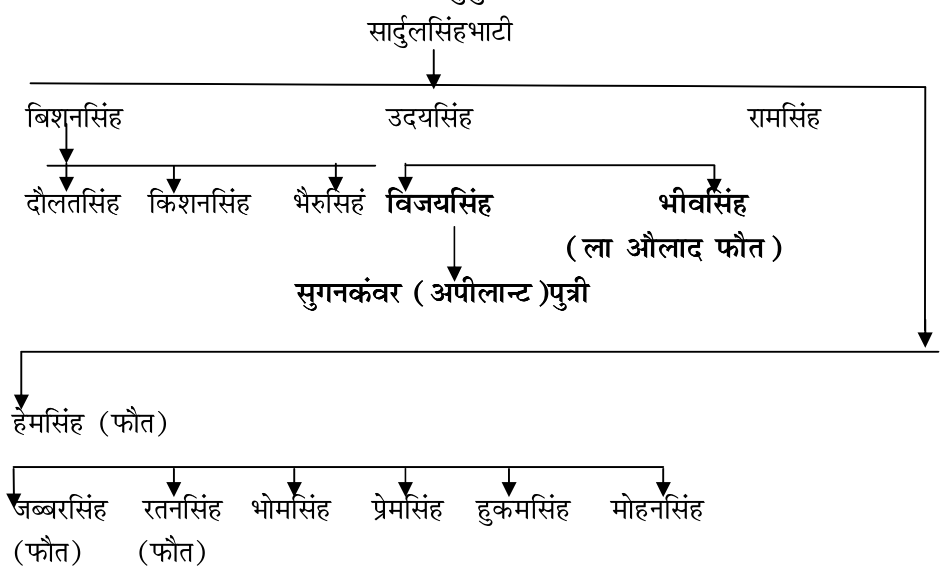

अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस की तलबी जरिये नोटिस की गई। तहसीलदार, तिंवरी से मूल रेकर्ड भी तलब किया गया।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार ओसिया द्वारा दिनांक 06.01.89 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 272 ग्राम मालुंगा को निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्टस की ओर से अधिवक्ता श्री जयसिंह भाटी ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त अपील लगभग 30 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गयी है तथा देरी से अपील प्रस्तुत करने का ऐसा कोई तथ्य अपील में पेश नहीं किया गया है। अत: ग्राम मालुंगा वर्तमान गांव संत निंबाराम नगर तहसील तिंवरी के सरहद में एक खेत खसरा नम्बर 357 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 426 रकबा 70 बीघा 08 बिस्वा व खसरा नम्बर 458 रकबा 08 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 93 बीघा 13 बिस्वा में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 272 ग्राम मालुंगा का दिनांक 06.01.89 को स्वीकृत किया गया है वह पूर्णतया विधिसम्मत व सही होने से नामान्तरकरण संख्या 272 को यथावत रखने व साथ ही अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतियां प्रस्तुत कर अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया गया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने व गहनता से अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि उक्त नामान्तरकरण में वर्णित सजरा अनुसार विजयसिंह व भीमसिंह सगे भाई थे एवं दोनों को लाऔलाद फौत बताया गया है। भीमसिंह के कोई औलाद नही थी वे लाऔलाद फौत हुए एवं स्व. विजयसिंह को भी लाऔलाद फौत बताया गया है जबकि कि अपीलान्ट स्वयं स्व.विजयसिंह की जायन्दा पुत्री एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विजयसिंह की एकमात्र वारिस है। स्व. विजयसिंह का भाई भीमसिंह ला-औलाद फौत होने से स्व. भीमसिंह के वारिस भी अपीलान्ट ही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट वारिस के रूप में जिन्दा होने पर भी मृतक विजयसिंह व भीमसिंह के वारिस नहीं होने एवं उनके लाऔलाद फौत का उक्त नामान्तरकरण हेमसिंह पुत्र रामसिंह के नाम से गलत भरा गया है जबकि अपीलान्ट स्वयं स्व.विजयसिंह व स्व.भीमसिंह की एकमात्र वारिस होने से उनके हिस्से की भूमि की एकमात्र हकदार है। अत: अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार ओसियां द्वारा दिनांक 06.01.89 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 272 ग्राम मालुंगा को निरस्त किया जाकर वर्तमान तहसीलदार तिंवरी (पूर्व तहसीलदार ओसियां) को स्व.

विजयसिंह व स्व.भोमसिंह की हिस्से की भूमि स्व.विजयसिंह की पुत्री एवं वारिसान अर्थात् अपीलान्ट के नाम उक्त नामान्तरकरण में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति मय अभिलेख तहसीलदार तिंवरी को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर